भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1186
बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

रोजगार सृजन में कमी

1186. श्री विवेक के॰ तन्खाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अप्रैल, 2017 की मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण, व्यापार, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना-प्रौद्योगिकी (आई॰टी॰), परिवहन, आवास और रेस्तरां जैसे आठ प्रमुख क्षेत्रों में, जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2013 के बीच 12.8 लाख नए रोजगार सृजित होने की तुलना में इन्हीं क्षेत्रों में जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2016 के बीच 6.41 लाख रोजगार सृजित हुए;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी॰एम॰ई॰जी॰पी॰), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और दीन दयाल अंत्योदय योजना के कार्यान्वित किए जाने के बावजूद रोजगार सृजन में कमी होने के क्या-क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं के विफल होने के बाद केन्द्रीय सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कैसी योजना बना रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय द्वारा दिसम्बर, 2015 तक निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में इन क्षेत्रों पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) आयोजित किया गया। सर्वेक्षण में अप्रैल, 2016 से 10 या इससे अधिक कामगार वाले 8 प्रमुख क्षेत्रों, नामतः विनिर्माण, निर्माण, व्यवसाय, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ को कवर करते हुए गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े भाग में उत्तरवर्ती तिमाहियों की तुलना में रोजगार की स्थिति में तुलनात्मक परिवर्तन को मापने के उद्देश्य से इसके विषय-क्षेत्र एवं कवरेज में विस्तार कर सुधार किया गया था। अप्रैल, 2016 से पहले के क्यूईएस परिणाम, कवरेज में परिवर्तन के कारण अप्रैल, 2016 के बाद के सर्वेक्षण परिणाम से तुलना योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान आयोजित 6ठे आर्थिक जनगणना में उपयोग किए गए पुनर्गठित क्यूईएस को इसके फ्रेम के रूप में प्रयोग किया। अतः इसमें 2013-14 के बाद सृजित किए गए नए रोजगार शामिल नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार, क्यूईएस 10 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को कवर नहीं करता है। इसलिए क्यूईएस में शामिल आठ क्षेत्रों में भी कुल रोजगार का सृजन परिलक्षित नहीं होता है।

(ख) एवं (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने, देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु उनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवं ईपीएफ के नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिए कर रही है। 4 फरवरी, 2019 तक 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांवित किया गया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। मेक इन इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

*****